न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 120/2022
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2022/347

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गणेशराम पुत्र श्री आसुराम जी, जाति – सीरवी, निवासी – ग्राम आकेली, तहसील पाली, जिला पाली		1. हरया पुत्र पुनमा, जाति बावरी, निवासी ग्राम आकेली, पाली के का. मुकाम– 1/1 गोपाराम 1/2 मकनाराम 1/3 चम्पालाल 1/4 सुखदेव पिसरान हरिया 1/5 टीपू देवी बेवा हरिया सभी जातिगण – बावरी, निवासीगण – ग्राम आकेली, तहसील पाली जिला पाली 2. सरकार जरिये तहसीलदार पाली राजस्थान

अन्तर्गत राज. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव।

अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री धीरेन्द्रसिंह, लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित

–: निर्णय :–

दिनांक 27.02.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राज. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार पाली के अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में भू–आवंटन कमेटी के आदेश संख्या 125 दिनांक 19.10.1977 के खसरा संख्या 151 रकबा 08 बीघा किस्म बारानी दोयम में आवंटन/नियमन को निरस्त कराने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम आकेली में हरीया एवं गणेश दोनो भाईयों की सयुक्त भुमि कुल 91.18 बीघा पूर्व होल्डिंग रहते हुए एक भाई की होल्डिंग 45.19 बीघा की कृषि भूमि रहती है। इसके पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 02 ने कुल 10 बीघा 12 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की कृषि भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन करवाकर प्रार्थी की जाव की कृषि भूमि में कृषि कार्य नहीं करने दे रहे है तथा सदियों से जिस कृषि भूमि की सिंचाई प्रार्थी करते आ रहे थे। उक्त कृषि भूमि के जाव में अप्रार्थी संख्या 01 अपनी भूमि बताते हुए बीच में पाईप लगा दिये गये जिससे प्रार्थी का बेरे का कनेक्शन अपने जाव से विच्छेद हो गया जिससे प्रार्थी को लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने पक्ष

में खसरा संख्या 221/2 तथा खसरा संख्या 151 का आवंटन पूर्व में अपनी होल्डिंग से अधिक भूमि का करवाकर विधि विरूद्ध कार्य किया है जबकि अप्रार्थी संख्या 01 व उनके वारिशान का उक्त आराजी पर आज दिन तक कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। तत्पश्चात अभी हाल ही मे गैर कानूनी तरीके से अपनी होल्डींग से अधिक कृषि भूमि रखते हुए खसरा नम्बर 221/2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 151 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा का गैर कानुनी तरीके से एलोटमेंट करवाये जाने तथा उक्त एलोटमेंट की आड मे हम प्रार्थीगणों के जाव की कृषि भुमि में सिंचाई का कार्य बाधित हो जाने से उक्त विधि विरूद्व एलोटमेंट/ नियमन खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में पारित नियमन आदेश दिनांक 19.10.1977 के विरूद्ध नियम 14(4) में पेश किया है जो पोषणीय नहीं है। जैर प्रार्थना–पत्र को नियमन होने के करीब 45 वर्ष बाद पेश किया है व करीब 35 वर्ष पूर्व खातेदारी अधिकार भी दिये जा चुके है जिससे जैर प्रार्थना–पत्र इतने विलम्ब से पेश करना भी विधि विरूद्ध है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अप्रार्थी संख्या 02 के पड़ोस में प्रार्थी स्वयं की खसरा संख्या 83 की कृषि भूमि बताई गई जबकि अप्रार्थी संख्या 02 राज्य सरकार पक्षकार है। वक्त नियमन अप्रार्थी हरीया के नाम कृषि भूमि नहीं थी तथा अप्रार्थी हरीया भूमिहीन कृषक था साथ ही नियमनशुदा भूमि पर काश्त कर अपनी आजीविका चला रहा था व जैर आराजी पर प्रार्थी का कब्जा नहीं रहा है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। खातेदारी अधिकार मिलने के बाद तकनीकी आधार पर आवंटन/ नियमन खारिज नहीं किये जा सकते के संबंध में न्यायिक दृष्टान्त 2023(2)RRT 1218, 2007(2) RRT 1194(HC), 2007(1) RRT 18, 2021(2) RRT 1100, 2018(2) RRT 1107, 2008(2)RRT 835, 2006 RRD 9, 1997 RRD 195 प्रस्तुत किये। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन सव्यय खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी का आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिए दो निम्न प्रमुख आधार प्रस्तुत किये है।

1. पहला आधार तो यह है कि आवंटी द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 151 रकबा 08 बीघा 18 बिस्वा को अपनी बताकर बीच में पाईप लगा दिये जिससे प्रार्थी के बेरे का कनेक्शन अपने जाव से डिस कनेक्ट हो गया जिससे प्रार्थी को नुकसान हो रहा है।
2. दूसरा प्रमुख आधार यह है कि वक्त आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पास निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक भूमि होने का कथन किया है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रकरण में आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने के लिए मुख्यतया आवंटन आवेदन का कपट, fraud, misrepresentation एवं गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन किया जाना तथा आवंटन शर्त्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन निरस्त किये जाने के प्रावधान है।

इस प्रकरण में अप्रार्थी के प्रथम उज्र के संबध में पाईप लाईन लगाये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने के जैर प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त करने का कोई युक्तियुक्त कारण प्रतीत नही होता है क्योंकि आवंटन/नियमन आदेश में आंवटी का नाम दर्ज है। प्रार्थी का द्वितीय महत्वपूर्ण उज्र के संबंध में यह है कि आवंटी के

पक्ष में किया गया आवंटन/नियमन जो कि वर्ष 1977 में आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जारी आदेश से स्पष्ट होता है। वर्ष 1977 का संवंत् 2034 होता है। आवेदक द्वारा आवंटी अप्रार्थी के खाते की नकले संवत् 2053 से संवंत् 2056 एवं संवत् 2041 से संवत् 2044 की प्रस्तुत की गई है जिससे कि स्पष्टतया आवंटन वर्ष संवत् 2034 के बाद की है। आवंटन की पात्रता का निर्धारण वक्त आवंटन भूमि धारण से किया जाना है जबकि वक्त आवंटन आवंटी अप्रार्थी निर्धारित भूमि से अधिक भूमि धारण करने का की कोई साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है। उक्त आवंटन वर्ष 1977 में होने के बाद यह आवंटन/नियमन निरस्त कराने हेतु सन् 2022 अर्थात् करीब 44–45 वर्षों के लम्बे अरसे बाद आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने के लिए बिना कोई ठोस आधार के प्रस्तुत किया जो ऊपर वर्णित नजीरों जो अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई से स्पष्ट होता है।

उपरोक्तानुसार हम प्रार्थी द्वारा रेस्पो. संख्या 01 के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त किये जाने के लिए कोई ठोस एवं विधिक आधार नहीं पाते है। अतएव अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) सारहीन बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर,
पाली
जिला कलक्टर, पाली